



# वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू०वि०वि०/डी०एस०कल्याण/741/2025-26

दिनांक : 18.06.2025

प्रेषक,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय  
जौनपुर।

सेवा में,

✓ 1-प्राचार्य/प्राचार्या  
सम्बद्ध महाविद्यालय, जनपद जौनपुर एवं गाजीपुर  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।

2-समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक  
विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रम,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर।

विषय:-छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन पत्र में लगाये जाने वाले आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक समाज कल्याण के पत्र संख्या-C-1426/स०क०/शिक्षा-अ/9/2025-26 दिनांक 18 जून, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन पत्र में लगाये जाने वाले आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में है। शासन द्वारा आवेदन करने हेतु दिनांक 10.07.2025 से पोर्टल खोले जाने हेतु समय-सारणी जारी की गयी है।

नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन में लगाने वाला आय प्रमाण पत्र छात्र/छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की स्थिति में माता का तथा माता/पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में संरक्षक का मान्य होगा तथा छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।


उक्त के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग/महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को इस सूचना से अवगत कराते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(प्रो० प्रमोद कुमार यादव)  
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:-

- 1-निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
- 2-निजी सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।

  
अधिष्ठाता छात्र कल्याण



प्रेषक,  
निदेशक,  
समाज कल्याण,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- C-1426/स0क0/शिक्षा-अ/9/ /2025-26.

लखनऊ, दिनांक: 8 जून, 2025

विषय:- छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन पत्र में लगाये जाने वाले आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी छात्र/छात्राओं हेतु शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना से लाभान्वित होने हेतु शासन द्वारा आवेदन करने हेतु दिनांक 10.07.2025 से पोर्टल खोले जाने से अवगत कराते हुए समय सारिणी पत्र संख्या 115/2025/1370/26-3-2025-1741051 दिनांक 10.06.2025 जारी की गयी है।

नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन में लगाने वाला आय प्रमाण छात्र/छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की स्थिति में माता का तथा माता/पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में संरक्षक का मान्य होगा तथा छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपने स्तर से जनपद में संचालित शैक्षणिक संस्थानों के नोडल अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों को उक्तानुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय

Digitally signed by  
KUMAR PRASHANT  
Date: 18-06-2025 (कुमर प्रशान्त )  
12:29:24 निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- विशेष सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
  - 2- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
  - 3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।